Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में ग्राम विकास अधिकारी 1 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज कार्यवाही सायला, जालोर में करते हुये पूराराम ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सायला, जिला जालोर को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भवन निर्माण का विवाद दूर करके एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में पूराराम ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सायला, जिला जालोर द्वारा उसके दलाल विक्रम सिंह राजपूत सरपंच का रिश्तेदार (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 2 लाख 40 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह एवं उनकी** टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये पूराराम पुत्र श्री धारूमल निवासी हरजीयाना, तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सायला, जिला जालोर को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दलाल विक्रम सिंह राजपूत पुत्र श्री लालसिंह निवासी सायला, जालोर (प्राईवेट व्यक्ति) ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। ट्रैप कार्यवाही के दौरान ए.सी.बी. मुख्यालय स्थित तकनीकी शाखा के प्रभारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश दुरेजा** एवं उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।